न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (S.D.O), सिवाना

पीठासीन अधिकारी श्रीमती कुसुमलता चौहान आर.ए.एस

प्रकरण संख्या :–137/2019

प्रार्थी:–

सकाराम उर्फ शंकरसिंह पुत्र श्री मोमताजी कौम पुरोहित निवासी इन्द्राणा तहसील सिवाना जिला बाडमेर

बनाम

विप्रार्थीगण:–

1. तहसीलदार सिवाना भूमिधारक
2. अर्जुनसिंह पुत्र श्री खेताजी
3. आसुसिंह पुत्र श्री खेताजी
4. बाबूसिंह पुत्र श्री खेताजी
5. मेराराम पुत्र मोमताजी
6. मोडाराम पुत्र मोमतजी
7. लालसिंह पुत्र खेताजी
8. साकु देवी पत्नी श्री खेताजी
9. हडमताराम पुत्र श्री मोमताजी समस्त जातियान पुरोहित निवासीयान इन्द्राणा तहसील सिवाना जिला बाडमेर
10. शाखा प्रबन्धक भारतीय स्टेट बैंक सिवाना
11. शाखा प्रबन्धक भारतीय स्टेट बैंक आसोतरा, पचपदरा

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956</u>

उपस्थित :–

1. श्री महेन्द्रसिंह सोढा अधिवक्ता प्रार्थी

–:: आदेश ::–

दिनांक :–30.07.2021

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के मुख्य तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी व विप्रार्थी संख्या 1 ता 9 की संयुक्त खातेदारी खेत सरहद मौजा इन्द्राणा पटवार मण्डल इन्द्राण खसरा संख्या 1438/797,1440/797,1442/824,629,632,678,679,680,681,682,718,785,795,821 व 822 कुल खसरा 15 कुल रकबा 27.5269 हैक्टयर की भूमि आई हुई है। वादग्रस्त वादग्रस्त भूमि में प्रार्थी का नाम सका पुत्र मोमता दर्ज है। प्रार्थी के सरकारी व अर्द्ध सरकारी सभी दस्तावेजात यथा परिचय पत्र, आधारकार्ड, राशनकार्ड, पेनकार्ड इत्यादि में शंकरसिंह पुत्र मोमताजी दर्ज है। प्रार्थी की अ[illegible] खातेदारी खेतो की भूमि में सका नाम दर्ज होने से सराकरी सेवाओं [illegible] परेशानी रहती है। सका व शंकरसिह नाम से दोनो ही व्यक्ति [illegible] राजस्व [illegible] दर्ज की गई गलती को सुधार किया जाना अत्यन्त ही आवश्यक होने के कारण [illegible] प्रार्थना पत्र न्यायालय श्री में प्रस्तुत किया गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kusumlata Chouhan
Date: 2021.09.03 12:48:23 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर कर विप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गया। विप्रार्थीगण को नोटिस तामिल सुदा प्राप्त । विप्रार्थी संख्या 3 द्वारा इकबाली जबाब प्रस्तुत कर प्रार्थी द्वारा चाही गई इस्तदुआ बावत सहमति जाहिर की गई।

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बाड़मेर)

...ार्थी के विद्वान अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी । प्रार्थी अधिवक्ता ने दौराने ...त प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये प्रार्थी का नाम राजकीय दस्तावेजात के आधार पर सका पुत्र मोमता के स्थान पर शंकरसिंह पुत्र मोमताजी किये जाने हेतु निवेदन किया ।

हमने पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजात का गहराई से अवलोकन किया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत राजकीय दस्तावेजात यथा आधारकार्ड,वोटरकार्ड, राशनकार्ड,पेनकार्ड दस्तावेजात इत्यादि में प्रार्थी का नाम शंकरसिंह पुत्र मोमताजी अंकित है । विप्रार्थी संख्या 3 ने भी अपने इकबाली जबाब मे प्रार्थी द्वारा चाहे गये अनुतोष बाबत सहमति जाहिर की है। अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है ।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाकर प्रार्थी की खातेदारी भूमि सरहद मौजा इन्द्राणा पटवार मण्डल इन्द्राणा के खसरा संख्या 1438/797,1440/797,1442/824,629,632,678,679,680,681,682,718,785,795,821 व 822 कुल खसरा 15 कुल रकबा 27.5269 हैक्टयर भूमि में अंकित अशुद्ध नाम "सका पुत्र मोमता" के स्थान पर " शंकरसिंह पुत्र मोमताजी" शुद्ध किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार सिवाना आदेश की पालना एक माह में कर पालना रिर्पोट भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।

आदेश आज दिनांक 30.07.2021 .को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(कुसुमलता चौहान)
उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O) सिवाना

Signature Not Verified

Digitally signed by Kusumlata Chouhan
Date: 2021.09.03 12:45:21 IST
Reason: SelfAttested